MLALADS पर पॉकेट बुक

Year I 2024

ग्राम विकास विभाग,उ0प्र0

वेबसाइट: www.mlaladsup.in

ग्राम विकास विभाग,उ0प्र0

श्री0 जी0 एस प्रियदर्शी

आयुक्त ग्राम विकास विभाग,उ0प्र0

अपर मुख्य सचिव

मा0 मं़त्री

संदेश

MLA LADS के दिशानिर्देशों पर यह पॉकेट बुक पहली बार विधान सभा और परिषद के सदस्यों के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में प्रकाशित की जा रही है। यह बेहतर सिफारिशें करने और एमएलएलएडीएस फंड के उपयोग में अधिक पारदर्शिता लाने में बहुत उपयोगी और सहायक होगा।

हमें उम्मीद है कि यह विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी होगा।

विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(विधायक निधि) संबंधी
दिशा–निर्देश

विशेषताएंः

1. **MLA LADS** ,स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति,संतुलित विकास के उदेदश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यो की तात्कालिक मांग के सदर्भ में विधान सभा तथा विधान परिष्द के प्रत्येक मा0 सदस्य को अपने–अपने क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए विधायक निधि बनायी गई है ।

2. विधान मण्डल के दोनो सदनों के मा0 सदस्यों को विकास कार्य हेतु विधायक निधि से रू 5 करोड़ प्रतिवर्ष जो दो समान किश्तों में जारी की जाती है ।

3. अनुशंसा किए गए कार्य सड़को का निमार्ण,पेयजल,प्राथमिक शिक्षा,सार्वजनिक स्वास्थ्य,स्वच्छता आदि जैसी परिसंपत्तियों और सुविधाओं के सृजन से संबंधित होने चाहिए ।

4. **अनुशंसित कार्य के नोडल जिले और भौगोलिक क्षेत्र का चयन**

सदस्य का प्रकार	**नोडल जिला चयन**	**अनुशंसित कार्य का भौगोलिक क्षेत्र**
विधान सभा	निर्वाचन क्षेत्र का जिला	निर्वाचन क्षेत्र के भीतर
विधान परिषद	निर्वाचन क्षेत्र या कोई भी जिला	निर्वाचन क्षेत्र विशेष मामला केवल प्राकृतिक आपदा के लिए स्वीकृत राशि रु 5 लाख

5. विधान मंण्डल के मा0 सदस्य प्रदेश के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष धनराशि के 7.5 प्रतिशत की धनराशि मुख्यमंत्री राहतकोष उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यो की संस्तुति कर सकते है,जो देश के किसी भी भू–भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमान्य हैं ।

6. **प्राकृतिक तथा मानव–जनित आपदाएं:** मा0 सदस्य आपदाओ/प्राकृतिक तबाही की संभावना वाले या प्रभावित क्षेत्रों में विधायक निधि कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं ।

(1) गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में प्रभावित जिले (गंभीरता भारत सरकार द्वारा निर्णीत की जाएगी) के लिए रू 5 लाख तक की धनराशि अनुंशसा कर सकते हैं ।

(2) राज्य में प्राकृतिक या मानव–जनित आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में रू 5 लाख प्रति वर्ष तक के कार्यो हेतु अनुंशसा कर सकते हैं ।

7. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख तक की धनराशि के कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमेय है।

8. विधायक निधि सम्बंधित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसे–तटबन्ध और उनसे जलनिकास करने सम्बन्धी किसी छोटे कार्य (माईक्रो हाइडेल वर्क) की लागत आंशिक रूप से पूरा करना। **ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो**। इस प्रस्तर के अधीन जहाँ किसी परियोजना का अंशतः व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो परियोजना का वह भाग स्पष्ट रूप से पहचान के योग्य हो।

9. विधान सभा/विधान परिषद के मा० सदस्य द्वारा चयनित कार्य के स्थल को मा० सदस्य की सहमति के बिना बदला नही जा सकता है।

10. विधान सभा/विधान परिषद के मा० सदस्य अर्न्तगत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्ति–कर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है।

11. मुख्य विकास अधिकारी निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने, उनका चयन करने तथा उन्हे स्वीकृति देने से पहले वह सम्बन्धित मा० सदस्य की सहमति प्राप्त करें।

12. **अनुशंसा किए गए कार्य मा० सदस्यों से उनका प्रस्ताव निर्माण कार्यों से सम्बंधित–**

(1) **स्वीकृति**–प्रस्ताव प्राप्त होने पर 45 दिनों के अन्दर ही की जानी चाहिये।

(2) **स्वीकृति प्रस्ताव** –विलम्बतम 03 माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना ।

13. विधायक विधि अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार की विभन्न अभिकरणो द्वारा होगा जैसे–

- लोक निर्माण विभाग
- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
- सिंचाई विभाग
- कृषि विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- शिक्षा विभाग
- क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
- नगर निगम
- आवास विकास परिषद्

14. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला योजना में तैयार किए गये कार्यों की सूची मा० विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि जिला योजना में चिहिन्त कार्यों में से, जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते है, उन कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि संबंधित मा० सदस्य की अनुसंशा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।

15. माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के किसी भी कारण परिवर्तित होने या उनके स्थान रिक्त होने की स्थिति में या संविधान के अनुसार विधान सभा की अवधि अवशेष होते हुए भी त्यागपत्र देने की स्थिति में पूर्ववर्ती मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा अभिज्ञापित यदि कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे तो पूरा किया जायेगा किन्तु कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा और नये कार्यो के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी दशा में अवमुक्त नहीं की जायेगी चाहे उन्होंने अपना प्रस्ताव रिक्त होने के पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया हो और चाहें सक्षम प्राधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया हो।

16. कार्य की अनुमानित लागत रु0 25.00 लाख से अधिक न हो, परन्तु रु0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकते हैं।

17. विधान मण्डल के एक से अधिक मा0 सदस्य द्वारा (मा0 सदस्य विधान सभा के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु उसी जनपद की सीमा के अन्तर्गत तथा मा0 सदस्य विधान परिषद के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी जनपद के अन्तर्गत) किसी परियोजना का चयन संयुक्त रूप से किया जा सकता है

18. विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि के आडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई धनराशि की आडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल मई) के अन्दर ही की जायगी।

19. गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए कराये गये कार्यों की जॉच प्रदेश एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी के माध्यम से करायी जायेगी जो अपनी रिपोर्ट क्रमशः शासन एवं जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को सौपेंगी।

20. धनराशि के अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि का आंकलन करेगा। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेंगी, और तब नये निर्माण कार्यों के लिये अवशेष आवंटन पर विचार किया जायेगा।

21. विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत

(1) **प्रथम किश्त**–60% धनराशि कार्यदायी संस्था/विभाग को उपलब्ध ।

(2) **प्रथम किश्त**–60% का (75%) धनराशि व्यय होने एवं कार्य की गुणवत्ता पर उपलब्ध ।

(3) **द्वितीय किश्त एवं अन्तिम किश्त**–40% धनराशि कार्यदायी संस्था/विभाग को उपलब्ध ।

22. विधायक निधि की कार्यदायी संस्थायें जिनका पी०एल०ए० एकाउन्ट नहीं 'धनराशि को राष्ट्रीकृत बैंकों के बचत खातों में है धनराशि से अर्जित ब्याज को उन्हें संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वापस करना होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस धनराशि को सुसंगत राजस्व प्राप्ति लेखा–शीर्षक में जमा होगा ।

23. मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य" लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवा सकेगे जिससे स्थानीय लोगो को यह सूनिश्ति हो जाए

कि कार्य विशेष मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा विधायक निधि योजना से करवाया गया है.

24. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट के कार्यों के लिये निम्न प्रतिबंधों के साथ विधायक निधि की धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

(1) लाभार्थी संगठन जो समाज सेवा/कल्याण हेतु कार्यरत और कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होंगे।

(2) लाभार्थी संगठन अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित है। उक्त संगठन के प्रतिष्ठा का निर्णय सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उनके सुसंगत कारकों जैसे समाज सेवा/कल्याणकारी कार्यों, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभ रहित कार्यो, कार्य प्रणाली में पारद र्शिता एवं उनकी सुदृढ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जायेगा।

(3) विधायक निधि की धनराशि का उपयोग स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जायेगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

(4) उक्त परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का विक्रय/हस्तानान्तरण/निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(5) इन सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव लाभार्थी संगठन को अग्रिम में सुनिश्चित करना होगा, तथा इन सृजित परिसम्पत्तियों का सामयिक संप्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा।

(6) लाभार्थी संगठन द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं उसकी (आडिटेड एकाउन्ट) परीक्षित लेखा उपलब्ध कराया जायेगा

(7) विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व लाभार्थी संगठन को राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम रूप से एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

25. मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शासकीय/शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य–दृश्य साधन क्रय कर उपलब्ध करा सकते है संस्थाओं के पास इनकी सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्राविधान हो।

26. विधायक निधि योजना के अंतरगत सम्मिलित कार्य जहाँ पर व्यवहार्य/अपेक्षित हों दिव्यांजनो के प्रयोग के अनुंकूल होना चाहिए ।

27. विधान मण्डल के मा० सदस्य द्वारा अधिकतम कुल रू0 25.00 लाख की धनराशि दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीडित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता के लिए उपलब्ध है ।

28. विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में गोवंश के रखरखाव हेतु आश्रय स्थलों की स्थापना का कार्य सम्मिलित है जिसमे व्यक्तिगत लाभ न हो ।

29. विधायक निधि योजना के अंतर्गत अनुमत्य कार्यो/मदों की सूची

(1) विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों।

(2) गॉवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण कार्य ।

(3) सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों/नलकूपों की नालियों एवं नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण।

(4) वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण।

(5) सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण।

(6) सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।

(7) शवदाह/श्मशान,कब्रिस्तान,ग्रेवयार्ड भूमि पर निमार्ण कार्य ।

(8) सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण।

(9) नाले और गटर।

(10) पैदल पथ, पगडंडियॉ और पैदल पुलों का निर्माण।

(11) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था ।

(12) सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव/शेडों का निर्माण।

(13) पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र।

(14) एक्सरे मशीन, एम्बुलेस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना ।

(15) रेडक्रास सोसायटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं से रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) उपलब्ध कराना ।

(16) बारात घर, चौपाल/रैनबसेरे का निर्माण कराया जाना।

(17) विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा एवं जनरेटर, इन्वर्टर तथा बैटरी की व्यवस्था।

(18) प्रकृतिक आपदा में विधायक निधि की धनराशि से नाव क्रय

(19) विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय।

(20) कार्यरत राजकीय एलोपैथिक/आर्युवेदिक चिकित्सालयों के अनावासीय भवनों का निर्माण।

(21) विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों तालाबों का पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण।

(22) विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक कार्य की संस्थाओं के परिसर में इलेक्ट्रानिक उपकरण, ए0सी0, कूलर, पंखे, जल शुद्धिकरण संयंत्र, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्यूटर, एल0ई0डी0, टी0वी0 पर क्रय ।

(23) विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक एवं कृषि कार्यों में सहयोग हेतु स्थायी तथा चलित सोलर संयंत्रों, सोलर सिंचाई संयंत्रों की स्थापना।

(24) विभिन्न सामाजिक सार्वजनिक स्थलों पर पार्कों, तालाबों, नदी, नालों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं ट्री–गार्डों का निर्माण ।

(25) सार्वजनिक उपयोग के लिये विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विभिन्न उपकरणों जैसे–ट्रैक्टर, वाटर टैंकर, जे0सी0बी0, स्वच्छता उपकरण, चलित एवं स्थायी तथा अस्थायी शौचालय, चलित एवं स्थायी पेयजल संयंत्र, कूड़ा ढोने का उपकरण(छोटे चारपहिया वाहन) की खरीद एवं विकास।

(26) नाला–नाली, ड्रेनों एवं तालाबों की खुदाई व सफाई आदि कार्य।

(27) दैवीय आपदा में सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सभी योजनाओं की पूर्ति करना।

(28) गोवंश ऐम्बुलेंस का क्रय करना।

(29) राजकीय तथा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय।

(30) विधुयत कार्य रोड लाइट, पार्क लाइट, सूचना फुटपॉथ, उच्च विद्यालयों में हैंम क्लब, स्मार्ट क्लास हेतु आवश्यक उपकरण सिटीजन बैंड रेडियो, ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना, सी0सी0टी0वी0, वीडियो कैमरा सिस्टम ।

30. विधायक निधि के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यो की सूची

(1) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से सम्बन्धित कार्यालय भवन आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।

(2) वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।

(3) किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोडकर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।

(4) अनुदान और ऋण।

(5) स्मारक या स्मारक भवन।

(6) किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार।

(7) भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।

(8) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, उन परिसम्पत्तियों को छोड़कर जो अनुमोदित योजनाओं के भाग है।

(9) धार्मिक पूजा के लिए स्थान।

(10) पूर्णतः कच्चे मार्ग का निर्माण।

(11) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा० सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट का पदाधिकारी है। (दिशा–निर्देश अनुसार)

31. **रू0 25.00 लाख** की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य का प्रस्ताव तथा धनराशि का आवंटन अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।

प्राथमिकता. क्षेत्र

1.स्वास्थ्य,परिवार कल्याण

(1) अस्पतालों, परिवार कल्याण केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भवन,देखभाल केंद्र, एएनएम केंद्र

(3) सरकार के लिए अस्पताल उपकरण के चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

(4) अस्पताल और औषधालय

(5) सरकार के लिए एम्बुलेंस

(6) मोबाइल औषधालय

(7) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एम्बुलेंस शव वाहन का परिचालन

(8) असाध्य रोगो से पिड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता

2.शिक्षा

(1) सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए भवन ।

(2) सरकारी सहायता प्राप्तध्गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक हेतु भवन
संस्थान ।

(3) सरकार के लिए कंप्यूटर. और सरकार. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान ।

(4) शिक्षण संस्थानों हेतु अन्य व्यय ।

3.बिजली सुविधा

(1) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए परियोजनाएँ ।

(2) सरकार की परियोजनाएँ बिजली सुधार के लिए एजेंसियां ।

(3) वितरण बुनियादी ढांचे में सरकारी स्कूल शामिल ।

सार्वजनिक स्थानों पर सौर्य उर्जा संयंत्र (10 किलो वाट) तथा जनरेटर की स्थापना ।

4.पेय जल सुविधा

(1) ट्यूबवेल सम्बंधित कार्य ।

(2) पानी के टैंक का निर्माण ।

(3) हैंडपंप लगवाना ।

(4) पानी के टैंकर ।

(5) पाइप से पेय जल आपूर्ति ।

(6) पेय जल उपलब्ध कराने हेतु अन्य कार्य ।

5.सिंचाई सुविधाएं

(1) सार्वजनिक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण ।

(2) बाढ़ नियंत्रण तटबंधों का निर्माण ।

(3) सार्वजनिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ ।

(4) सार्वजनिक भूजल पुनर्भरण सुविधाएं ।

(5) अन्य सार्वजनिक सिंचाई परियोजनाएँ ।

6.अन्य सार्वजनिक सुविधाएं

(1) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण ं।

(2) चक्रवात, बाढ़ प्रभावित तथा दिव्यांग आदि के लिए सामान्य आश्रयों का निर्माण ।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का निर्माण ।

(4) कब्रिस्तान/श्मशान/ग्रेवयार्ड/कब्रिस्तान भूमि पर निर्माण जिसमें ऊर्जा कुशल शवदाह गृह भी शामिल है ।

(4) कारीगरों के लिए सामान्य कार्य शेड ।

(5) सार्वजनिक यात्रियों परिवहन के लिए बस–शेडों का निर्माण ।

(6) स्कृतिक गतिविधियों के लिए भवन ।

(7) बाढ़ एवं चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मोटर नौकाओं की खरीद ।

(8) सार्वजनिक पार्क की चारदीवारी ।

(9) अन्य सार्वजनिक कार्य अन्यत्र शामिल नहीं हैं ।

(10) आवश्यक जीवन रेखा भवनों की रेट्रोफिटिंग अर्थात। सरकारी अस्पतालो सरकार स्कूलों और सार्वजनिक भवनों का उपयोग आश्रय स्थल के रूप में किया जाना चाहिए एक आपात स्थिति।

7.सड़कें और पुल

(1) सड़क,संपर्क मार्गों,मार्गों का निर्माण।

(2) पैदल पथों का निर्माण ।

(3) पुलिया एवं छोटे पुलों का निर्माण।

(5) स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण।

(6) सौर प्रकाश का प्रावधान ।

8. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

(1) सार्वजनिक जल निकासी के लिए नालियाँ एवं नालियाँ ।

(2) सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर ।

(3) स्थानीय निकायों के लिए कचरा संग्रहण वाहन ।

(4) स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य ।

9. खेल

(1) खेल गतिविधियों के लिए भवन ।

(2) शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन ।

(3) मल्टी–जिम के लिए भवन ।

(4) स्थिर (अचल) खेल उपकरण ।

(5) मल्टी जिम उपकरण ।

(6) ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदानोंध्खेल सुविधाओं का निर्माण ब्लॉक स्तर ।

(7) खेलों के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण ।

(8) व्यायामशालाओं (व्यायामशाला फिटनेस सेंटर) का निर्माण ।

(9) कंक्रीट सिटिंग के साथ ओपन–एयर मिनी स्टेडियम का निर्माण ।

(9) जिला मुख्यालय पर दर्शकों के लिए क्षेत्र ।

(10) खेल गतिविधियों के लिए अन्य सार्वजनिक कार्य ।

10.पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन से संबंधित कार्य

(1) पशु चिकित्सा सहायता कैंटर, कृत्रिम गर्भाधान कैंटर और प्रजनन कैंटर के लिए भवन।

(2) जानवरों के लिए आश्रय स्थल ।

(3) पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण।

(4) वीर्य बैंकों के लिए भवनों और अचल संपत्तियों का निर्माण।

11. शहरी विकास से संबंधित कार्य

(1) फुटपाथ,पैदल मार्गों का निर्माण।

(2) सामुदायिक शौचालय ।

टिप्पणियाँः–

(1) योजना के कार्य बड़े पैमाने पर आम जनता,समुदाय के लिए होंगे और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं.होगा ।

(2) परिचालन और रखरखाव लागत उपयोगकर्ता सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

(3) किसी भवन **(जैसे खेल के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल, व्यायामशाला, ओपन–एयर मिनी स्टेडियम, पशु चिकित्सालय और औषधालय, वीर्य बैंक, किसान प्रशिक्षण सहायता केंद्र आदि)** का निर्माण केवल और केवल तभी किया जाएगा जब विशेष मद विधिवत हो।
स्वीकृत और इसकी परिचालन और रखरखाव आवश्यकताओं और लागत (जैसे जनशक्ति, फर्नीचर, फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं, सुरक्षा आदि) को उपयोगकर्ता सरकार,मंत्रालय,विभाग,संगठन द्वारा विधिवत पूरा किया जाएगा।

(3) जिला अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमपीएलएडीएस के तहत बनाई गई संपत्तियों का आवश्यक उद्देश्य और नियमित उत्पादक उपयोग विधिवत पूरा किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

MLALAD Scheme

प्रश्न 1–योग्य कार्य के मानदंड क्या हैं?

उत्तर–स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्य उनके निर्वाचन. क्षेत्र मे किए, जा सकते हैं। टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के लिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें आदि शामिल हैं।

प्रश्न 2–संस्थानों के लिए अनुशंसित धनराशि की अधिकतम सीमा क्या है और किस प्रकार के संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं?

उत्तर.–रु 25 लाख से अधिक नहीं, किसी विशेष ट्रस्ट/सोसाइटी/कार्यान्वयन एजेंसियों के एक कार्य के लिए विधायक निधि से रु 25 लाख खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन विशेष मामलों में जैसे **कन्वेंशनल सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम** विशेष अनुमति पर रु 25 लाख अधिक खर्च कर सकते है

प्रश्न 3–क्या धनराशि का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र राज्य के बाहर किया जा सकता है

उत्तर–हां, एमएलए/एमएलसी एक वित्तीय वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र/राज्य शासित प्रदेश के बाहर अधिकतम रु 5 लाख तक के पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। (दिशानिर्देश)

प्रश्न 4–क्या विधायक निधि को आवर्ती व्यय पर खर्च किया जा सकता है?

उत्तर– नहीं,सभी राजस्व और आवर्ती व्यय निषिद्ध हैं

प्रश्न. 5–क्या एमएलए/एमएलसी सीधे MLALADS वेबसाइट पर काम की सिफारिश कर सकते हैं?

उत्तर– हां, एमएलए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा सीधे लॉगिन कर सकते हैं कार्यों की अनुशंसा कर सकते है

.

प्रश्न 6–क्या विधायक अनुशंसित कार्यों को वापस ले सकते हैं या संशोधित कर सकते ऑनलाइन ?

उत्तर– हां, इसे दिशानिर्देशों के प्रावधानों के साथ ऑनलाइन किया जा सकता है

प्रश्न 7–गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए माननीय विधायक की अधिकतम कितनी राशि की अनुशंसा कर सकते हैं?

उत्तर.–देश के किसी भी हिस्से में गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, एक एमएलए/एमएलसी प्रभावित जिले पर कार्यों की सिफारिश कर सकता है। (7.5ः मुख्यमंत्री राहत कोष से । ;दिशानिर्देशो का अवलोकन करेंद्ध

प्रश्न 11.–क्या स्कूलों में स्मार्ट क्लासों का निर्माण पर दिशानिर्देशों के तहत लागू है?

उत्तर–कंप्यूटर की खरीद और विजुअल डिस्प्ले इकाइयों की खरीद, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एमएलएलैडस पर दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य हैं।

.

प्रश्न 12–क्या स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए ध्वज स्तम्भ स्थापित किया जा सकता है एमएलएलैड्स के दिशानिर्देशों अनुसार ?

उत्तर– हां, एमएलएलैड्स पर दिशानिर्देशों के तहत स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए ध्वज पोस्ट स्थापित किया जा सकता है।

प्रश्न 12–क्या सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण सहित उनका रखरखाव, बाड़ लगाना और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है?

उत्तर–विधायक निधि का उपयोग वृक्षारोपण सहित उनके रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए किया जा सकता है

CONTACT TELEPHONE NUMBERS

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, LUCKNOW,

UTTAR PRADESH

Name/Designation	Telephone

Notes

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………